भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2786

10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

अवैध खनन

2786. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दस वर्षों के दौरान अवैध खनन के दर्ज मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत दस वर्षों के दौरान अवैध खनन गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा देश में अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) गत दस वर्षों के दौरान खनन स्वामियों/कब्जेदारों द्वारा वन और पर्यावरण के गैर-अनुपालन का ब्यौरा और संख्या कितनी है;

(ङ) क्या गत दस वर्षों के दौरान देश में पर्यावरण और वन कानूनों का अनुपालन नहीं करने वाली खानों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) खान मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच समन्वयन में वृद्धि करने संबंधी प्रस्तावित उपाय क्या हैं और विद्यमान हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रमुख एवं गौण दोनों, खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण को रोकने तथा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया है।

भारतीय खान ब्यरो (मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय) को प्रस्तुत अवैध खनन संबंधी तिमाही विवरणियों में राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले दस वर्षों में पंजीकृत अवैध खनन के मामलों का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मामलों की सं.	69316	78189	94604	98597	91587	96684	110476	97047	116198	115492

ऊपर दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि 2009-10 से 2012-13, उसके पश्चात 2014-15 से 2015-16 और 2016-17 से 2017-18 के दौरान अवैध खनन के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में, यह पिछले वर्ष अर्थात 2017-18 की तुलना में इन मामलों में कमी दर्शा रहा है।

(घ) से (च) : वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियों का अनुदान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। पर्यावरण एवं वन कानूनों की गैर-अनुपालना का ब्यौरा खान मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

खान मंत्रालय, खनन संबंधी सभी मामलों पर विचार करने के लिए सचिव (खान) की अध्यक्षता में नियमित रूप से केंद्रीय समन्वय-सह-अधिकार प्राप्त समिति बैठकों का आयोजन करता है। इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एवं संबंधित राज्य सरकारें भाग लेती है।

*****